an>

Title: Introduction of the Chit Funds (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of Section 4).

श्री अर्जुन राम मेघवात (बीकानेर): महोदया, मैं पूरताव करता हूं कि विट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का अनुमति दी जाए। HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982."

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।